संख्याः 14/2019/556/87-अति0ऊ0स्रो0वि0/2019

प्रेषक,

चारूलता,

संयुक्त सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

निदेशक,

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण।

विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।

अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत विभागः **लखनऊ : दिनांक : 28 मई, 2019**

विषय:- यूपीनेडा में कार्यरत अवर अभियन्ताओं को वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दी गयी ए.सी.पी. की विशिष्ट व्यवस्था की सुविधा प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक यूपीनेडा के पत्र संख्या-2258-/नेडा-ईएस-शासन/2012-13, दिनांक 21-07-2015, पत्र संख्या-4176/नेडा-ईएस-शासन/2012-13, दिनांक 01-09-2016 एवं पत्र संख्या- 10020/नेडा-ईएस-शासन/2012-13, दिनांक 14-03-2018 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि यूपीनेडा के अवर अभियन्ताओं को राजकीय विभागों के अवर अभियन्ताओं के सादृश्य पर ए.सी.पी. की विशिष्ट व्यवस्था वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-23/2015/वे0आ0-2-258/दस-62(एम)/2008 टी.सी. दिनांक 29.04.2015 की व्यवस्था के अन्तर्गत इस शर्त के साथ श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं कि अवर अभियन्ताओं को ए.सी.पी. की विशिष्ट व्यवस्था का लाभ अनुमन्य कराये जाने के संबंध में आने वाला अतिरिक्त व्ययभार यूपीनेडा द्वारा स्वयं के वित्तीय संसाधनों से वहन किया जायेगा।

2- उक्त आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-10-158/दस-2019, दिनांक 30/04/2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीया,

चारूलता

संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक : तदैव

उपर्युक्त की प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(2) कोषाधिकारी, लखनऊ।

(3) वित्त (व्यय नियंत्रण)-अनुभाग-10

(4) वित्त (वेतन आयोग)-अनुभाग-2

(5) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

राजेन्द्र कुमार

अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in